प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06 फरवरी, 2026 को स्टेट ब्राडबैंड कमेटी (SBC) की बैठक में हुए निर्णय के अनुपालन की प्रगति समीक्षा विषयक बैठक का कार्यवृत।

<u>उपस्थिति पत्रक:- संलग्न</u>

दिनांक 11-11-2025 की SBC की मीटिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में बिन्दुवार समीक्षा की गयी, उक्त के अनुपालन की स्थिति व तत्क्रम में दिये गये निर्देश सारणी रूप में निम्नवत् है:-

बिंदु संख्या	निर्णय का बिंदु	अनुपालन की स्थिति एवं दिये गये निर्देश
1	दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं तहसीलों से दूरसंचार अधिनियम, 2023 तथा दूरसंचार (राइट आफ वे) नियम, 2024 के सम्बन्ध में कतिपय स्थलों में अनुमति प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ एवं कानपुर द्वारा Road Cutting Permission हेतु पृथक रूप से पोर्टल विकसित कर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं तथा उक्त पोर्टल को बन्द करने हेतु अनुरोध किया गया। यह निर्णय लिया गया कि दूरसंचार विभाग भारत सरकार, नगर विकास विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विडियो कॉन्फ्रैन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित प्राधिकरणों तथा निकायों के साथ एक समीक्षा बैठक कर जहाँ कहीं कठिनाई का अनुभव हो रहा है, उसका तत्परता से निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। यह भी निर्णीत हुआ कि जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ एवं कानपुर को पृथक पोर्टल न रखे जाने से अवगत करा दिया जाए जिससे समस्त आवेदन भारत सरकार के एकीकृत राइट आफ वे पोर्टल https://row2025.uprow.in/ पर ही प्राप्त किए जा सकें।	इस विषय में अभी तक दोनों जनपद में पृथक पोर्टल के प्रयोग की स्थिति यथावत है। DOT द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी बैठक अभी तक आवास विभाग /नगर विकास के साथ नहीं हुई है। यह अपेक्षा की गयी की बैठक का प्रयास शीघ्र कर लिया जाये।
2	दूरसंचार विभाग द्वारा समिति के समक्ष यह बिन्दु रखा गया कि वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार निजी भूमि/भवन पर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किए जाने हेतु किसी प्रकार की	दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया

	अनुमति की आवश्यकता नहीं है और कतिपय आवेदन सम्बन्धित निकायों द्वारा Acknowledge नहीं किए जा रहे या निरस्त किए जा रहे हैं। उनके द्वारा यदपि समिति के समक्ष यह पक्ष प्रस्तुत किया गया कि ऐसे प्रकरण में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं और महज सूचना दिया जाना है। समिति के समक्ष विचार विमर्श में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मंत्रालय के किस परिपत्र अथवा मार्गदर्शिका के अनुसार महज आवेदन की सूचना एक पर्याप्त औपचारिकता है। अत: इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णीत किया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक स्थिति का स्पष्टीकरण (Clarification) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, जिसमें इस बिन्दु को स्पष्ट किया जाए कि महज आवेदन की सूचना दिया जाना पर्याप्त है और ऐसी दशा में पोर्टल में भी इस आशय का संशोधन/अपडेट करा दिया जाए कि सूचना दिए जाने के साथ आवेदक को सिस्टम जैनरेटड रिसीट मिल जाए और आवेदक की कोई निर्भरता जिला प्रशासन अथवा निकाय/प्राधिकरण पर न रहे।	गया कि अभी उनके स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय लिया गया कि इससे सबंधित बिंदु पुन: तभी SBC में लाया जायेगा, जब प्राप्त मार्गदर्शन में कोई ऐसा बिंदु संज्ञान में आये जिसे लेकर राज्य स्तर से कोई निदेश निर्गत करना अपेक्षित हो।
3	विभिन्न प्राधिकरणों तथा निकायों द्वारा भूमि/भवनों पर स्थापित टावरों के सापेक्ष सम्बन्धित भूमि/भवन स्वामी पर प्रापर्टी टैक्स समूबन्धित बिंदु।.... सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दूरसंचार विभाग इस विषय में समग्र रूप से मय दृष्टान्त एक बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास के साथ कर ले, जिसमें प्रकरण पर उठाए गए बिन्दु और अधिनियम के प्राविधान के अनुरूप युक्तियुक्त कार्यवाही हेतु समुचित निर्णय सुनिश्चित कर समस्त सम्बन्धित को तदनुसार अवगत करा दिया जाए।	इस विषय में अभी तक दूरसंचार विभाग की बैठक प्रमुख सचिव, नगर विकास के साथ प्रतीक्षित है। दूर संचार विभाग से अपेक्षा की गयी कि प्रमुख सचिव नगर विकास से सम्पर्क कर शीघ्र बैठक आहूत कराने पर प्रयास कर लें।
4	दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य में लागू निवेश मित्र पोर्टल पर एक से अधिक बार क्लारिफिसशन से सम्बंधित प्राविधान नहीं है का बिंदु रखा गया। यह स्पष्ट	अद्यतन बैठक में विशेष सचिव आई टी को निदेशित

	किया गया कि Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के दृष्टिगत एक से अधिक बारगी आवेदक से Clarification लिए जाने की स्थिति को निवेश मित्र स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। BRAP (Business Reforms Action Plan) के Mandate के अनुसार मोबाइल टावर के स्थापना सम्बन्धी आवेदनों हेतु राइट आफ वे पोर्टल का एकीकरण निवेश मित्र पोर्टल से अनिवार्य है, अतएव इसे डी-लिंक नहीं किया जा सकता है। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग इस विषय में परिक्षण कर सम्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।	किया गया कि BRAP की गाइड लाइन के क्रम में अन्य राज्यों में क्या प्राविधान है इसकी जानकारी आगामी बैठक के पूर्व कर ली जाये। साथ ही दूर संचार विभाग से अपेक्षा की गयी की गुजरात /आंध्र प्रदेश / महाराष्ट्र /कर्नाटक और तमिलनाडु में इस विषय में क्या प्रक्रिया लागू की गयी है इसकी जानकारी कर अवगत करा दें।।
5	उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुरोध किया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा कम्पोजिट बिलिंग की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे सेवाप्रदाताओं को बिल का भुगतान किए जाने में सुगमता हो सके तथा यह भी अनुरोध किया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा मोबाइल टावर हेतु बिजली के कनैक्शन उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्गत माँग-पत्र रू0-2,022.00 से अधिक होने की स्थिति में उसको आगामी बिल में समायोजित कर लिया जाए। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि कम्पोजिट बिलिंग लागू किए जाने का प्रावधान प्रक्रियाधीन है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त विषयगत दूरसंचार विभाग और पॉवर कॉरपोरेशन बैठक कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।	समीक्षा में दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिंदु का समाधान हो गया है।
6	भारत नेट योजना की ख़राब प्रगति के दृष्टिगत और इस	बीएसएनएल से

	योजना में अधिष्ठापित नैटवर्क के OM लागत के राज्य के बजट से बीएसएनएल को भुगतान करने के स्थिति के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि इस विषय में बीएसएनएल न केवल योजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु की जाने वाली प्रगति के रोड मैप को तत्काल प्रस्तुत करे, बल्कि हो रहे विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए उत्तरदायित्व का निर्धारण भी करे। साथ ही लगाए जा रहे कनैक्शन की उपयोगिता और क्वालिटी मॉनिटरिंग उच्च गुणवत्ता के नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम से ही की जाए, यह सुनिश्चित हो।	अनुपालन आख्या में प्रगति की स्थिति एवं रोड मैप के साथ NMS के बिंदु के अनुपालन की प्रगति पर MD UPLC से 7 दिवस में आख्या अपेक्षित की गयी।

उक्त के साथ बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या:-221/78-1-2026-
लखनऊ: दिनांक:17 फरवरी, 2026

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव सचिव,उर्जा, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
3- विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2
4- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
5- उप-महानिदेशक (ग्रामीण-1), दूरसंचार विभाग।
6- CGM BSNL UP (East) and UP (West) Telecom Circles
7- CGM BBNL-State Head UP (East) & UP (West)
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
17/2/26
(विवेक कुमार गुप्ता)
अनु सचिव।

प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी (SBC) के संबंध में दिनांक 06-02-2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से आहूत तैयारी बैठक की उपस्थिति:-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0/ ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1.					
2.	Neha Jain	विशेष सचिव	IT&E	9559774423	[signature]
3.	Virendra Kumar	DDG (R-2)	DoT, UP(East)	9412200056	[signature] 6-2-2026
4.	A. K. Mishra	DDG (R-1)	DoT. UPE	9415011900	[signature]
5.	Shailendra Singh	DGM(BN). Bharatnet	BSNL UPE	9415010345	[signature]
6.	Rajeev Chandr	PGM(BN). Bharatnet	BSNL UPE	9415400077	[signature]
7.	Abhinav Kr. Verma	DGM(NWP-CM) BSNL	BSNL UPE	9412000529	[signature]
8.	Mohd. Ilyas Rai	DGM(TR)	BSNL UPE	9415570500	[signature] 06/02/26
9.	Amit Kumar	ADG(R2)	DOT, UPE	9999208615	[signature]
10.	Prasoon Chandra	Dir R	—	9450009001	PC
11.	Ravi Kumar	AD R,	DoT UP.	9412662400	[signature]
12.	Anupam Chandra	Dy JM	UPDESCO	[illegible]	[signature]